रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2011/फाल्गुन 18, 1932
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2011/PHALGUNA 18, 1932

क्र. 1256/सचिव/खाद्य/2009 दिनांक 20/04/2011
क्रमांक 1275 प्रमुख सचिव/खाद्य विभाग दिनांक 19/04/2011
क्र. 1378/प्र.स./खाद्य/2010 दिनांक 20/4/11

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सा.का.नि. 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) और (थ) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "व्यौहारी" से पैकज में रखी गई वस्तु के संबंध में ऐसा व्यक्ति अथवा फर्म अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षत: या अन्यथा, नकदी के लिए या आस्थिगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए पैकज में रखी गई ऐसी किसी वस्तु के क्रय, विक्रय, प्रतिदान या वितरण का कारबार चलाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कमीशन अभिकर्ता भी आता है जो किसी मालिक की ओर से ऐसा कारबार चलाता है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा विनिर्माता नहीं आता है जो किसी वस्तु का विनिर्माण पैकज बंद रूप में विक्रय या वितरण के लिए करता है जबकि ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी वस्तु का वितरण व्यौहारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता हो;

(ग) "लॉट" से अभिप्रेत है–

(i) ऐसे पैकजों के मामले में जिन्हें भंडारित किया गया है, ऐसे भंडारित पैकजों की कुल संख्या; और

(ii) ऐसे पैकजों के मामले में जो पैकिंग अवस्था में या उसकी समाप्ति की स्थिति में हैं पैकजों का अधिकतम प्रति घंटा उत्पादन;

(घ) "विनिर्माता" से पैकज में रखी किसी वस्तु के संबंध में ऐसा व्यक्ति, अथवा फर्म अभिप्रेत है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन, निर्माण या विनिर्माण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति अथवा फर्म भी आता है जो अपने द्वारा उत्पादित, निर्मित या विनिर्मित न किए गए किसी पैकेज में रखी गई वस्तु पर कोई चिन्ह अंकित करता है या करवाता है और चिन्ह पैकेज में रखी गई वस्तु के बार में यह दावा करता है कि वह वस्तु यथास्थिति ऐस व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा उत्पादित, निर्मित या विनिर्मित की गई है;

(ङ.) "अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि" से किसी पृथक पैकेज में रखी गई मात्रा के संबंध में कमी की ऐसी त्रुटि अभिप्रेत है, जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट त्रुटियों की सीमाओं से अधिक नहीं है;

(घ) "शुद्ध मात्रा" से किसी पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु के संबंध में, उस पैकेज के अन्तर्विष्ट पैकिंग अथवा आवेष्ठन को छोड़कर ऐसी वस्तु के तोल, माप की मात्रा अथवा संख्या अभिप्रेत है;

(छ) "पैककर्ता" से ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त अभिप्रेत है जो किसी वस्तु थोक या फुटकर विक्रय के लिए उपयुक्त किन्हीं एककों में किसी बोतल, टिन, आवेष्ठन में या अन्यथा पूर्व पैकेज बंदी करता है।

(ज) "प्रधान संप्रदर्शन पैनेल" से किसी पैकेज से किसी पैकेज के संबंध में वह कुल सतही क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां इन नियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जा सकती है नामत:-

(i) सभी जानकारी एक ही समूह में और एक ही स्थान पर दी जा सकती है; या

(ii) पूर्व-मुद्रित जानकारी एक ही समूह में और एक ही स्थान पर दी जा सकती है, और अन्य स्थान पर एक साथ समूह में दी गई जानकारी के अनुसार;

(झ) "मात्रा" से किसी पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु के संबंध में उस पैकेज के अन्तर्विष्ट ऐसी वस्तु के तोल, माप की मात्रा या संख्या अभिप्रेत है;

(ञ) "फुटकर व्यौहारी" से किसी पैकेज बंद वस्तु के संबंध में ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है जो उपभोक्ता को ऐसे पैकेजों का सीधे विक्रय करता है और उसमें ऐसे पैकेजों के संबंध में जो सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाते हैं ऐसा थोक व्यौहारी सम्मिलित है जो ऐसा सीधा विक्रय उपभोक्ता को करता है;

(ट) "फुटकर पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जो उसमे ऐसी रखी गई वस्तु के उपभोग के प्रयोजन के लिये अंतिम उपभोक्ता को फुटकर विक्रय के लिये आशयित है और इसमें आयातित

पैकेज भी शामिल है। बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अंतिम उपभोक्ता" अभिव्यक्ति में औद्योगिक अथवा संस्थागत उपभोक्ता शामिल नहीं होंगे;

(ठ) "फुटकर विक्रय" से किसी वस्तु के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए फुटकर विक्रय दुकानों, अभिकरणों या अन्य माध्यमों द्वारा ऐसी वस्तु का विक्रय, वितरण या परिदान अभिप्रेत है;

(ड.) "फुटकर विक्रय कीमत" से अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैकेजकृत रूप में रखी गई वस्तु उपभोक्ता को विक्रय की जा सकेगी और पैकेज पर कीमत निम्न प्रकार से मुद्रित की जायेगी;

अधिकतम / अधिक. फुटकर कीमत रू........./ ₹............. सभी करों को शामिल करके; या एम. आर.पी रू........./ ₹............ सभी करों को शामिल करके, यह इस तरीके से निर्धारित की जाएगी कि पचास पैसे से कम के गुणक को पूर्ववर्ती रूपये में और 50 पैसे से ऊपर और 95 पैसे तक को पचास पैसे में समायोजित किया जायेगा।

(ढ़) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ण) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) "मानक पैकेज" से ऐसी पैकेज अभिप्रेत है जिसमें वस्तु की विनिर्दिष्ट मात्रा अन्तर्विष्ट हो;

(थ) "थोक व्यौहारी" से पैकेज में रखी किसी वस्तु के संबंध में वह व्यौहारी अभिप्रेत है जो ऐसी किसी वस्तु का किसी उपभोक्ता को सीधे विक्रय नहीं करता है किन्तु ऐसी वस्तु का वितरण या विक्रय एक या अधिक माध्यस्थों द्वारा करता है;

(द) "थोक पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें -

(i) बहुत से फुटकर पैकेज अन्तर्विष्ट हो जहां ऐसे प्रथम वर्णित पैकेज को किसी माध्यस्थ को विक्रय, वितरण या परिदान किए जाने का आशय हो और किसी एक उपभोक्ता को सीधे विक्रय किए जाने का आशय न हो; या

(ii) किसी माध्यस्थ को थोक में विक्रय की गई वस्तु अन्तर्विष्ट है, जिसमें ऐसा माध्यस्थ ऐसी वस्तु को उपभोक्ता को लघु मात्राओ में विक्रय, वितरण या परिदान करने में समर्थ हो सके; या

(iii) दस या दस से अधिक खुदरा पैकेजों वाले पैकेज, यदि खुदरा पैकेजों को इन नियमों की अपेक्षानुसार लेबल किया गया है।

(घ) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

अध्याय – II

फुटकर विक्रय के लिए आशयित पैकेजों को लागू उपबंध

3. **अध्याय का लागू होना** – इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे -

(क) 50 कि0 ग्रा0 तक के बैगों में बेचे जाने वाले सीमेंट और उर्वरकों को छोड़कर 25 कि0 ग्रा0 अथवा 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले पैकेज; और

(ख) औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनी पैकेज में रखी गई वस्तुएं।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के आशय से ;

i) "संस्थागत उपभोक्ता" से वे संस्थागत उपभोक्ता अभिप्रेत है जो परिवहन, एयरवेज, रेलवेज होटल, हस्पिटल अथवा कोई अन्य सेवा संस्था विनिर्माताओं अथवा पैकरों से सीधे पैकेज में रखी वस्तुएं अपनी संस्था में प्रयोग हेतु खरीदता है।

(ii) "औद्योगिक उपभोक्ता" से वे औद्योगिक उपभोक्ता अभिप्रेत हैं जो उनके उद्योग में प्रयोग करने के लिए विनिर्माताओं अथवा पैकरों से सीधे पैकेज में रखी वस्तुएं खरीदते हैं।

4. **पैक में रखी वस्तुओं के पहले से पैक करने और उनके विक्रय आदि का विनियमन** :- इन नियमों के प्रारम्भ पर और तब से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय, वितरण या परिदान के लिए तब तक पहले से पैक नहीं करेगा, या न पहले से पैक कराएगा, या न पहले से पैक करने की अनुज्ञा देगा जब तक कि उस पैकेज पर, जिसमें वस्तु पहले से पैक की गई हो, उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर ऐसी घोषणाएं न लगी हों जिनका दिया जाना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं।

स्पष्टीकरण:- विनिर्माता के परिसरों के अंदर फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा के बिना पैकजों के अस्तित्व को इन नियमों के उल्लंघन के रूप में नहीं समझा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपने गन्तव्य के लिए विनिर्माता के परिसरों को छोड़ते हुए सभी पैकजों पर फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा होगी जैसा कि इस नियम अपेक्षित है।

5. **विनिर्दिष्ट वस्तुएं संस्तुत मानक पैकजों में पैक और विक्रय की जाएगी:-** द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ऐसी मानक मात्राओं में विक्रय, वितरण अथवा परिदान के लिए पैक किया जाएगा जैसा कि उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

परन्तु यह है कि द्वितीय अनुसूची ने विनिर्दिष्ट वस्तुएं उस अनुसूची में निर्धारित साइज से परे किसी साइज में पैक की जाती है तो घोषणा कि विधिक मान विज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत मानक पैक आधार नहीं अथवा विधिक मान विज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत गैर मानक आकार ऐसे पैकेज के लेबल पर प्रमुख रूप में की जाएगी।

6. **हर पैकेज पर की जाने वाली घोषणाएं – (1) हर पैकेज पर या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर निम्नलिखित की बाबत इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई निश्चित, स्पष्ट और सहज घोषणाएं होंगी:-**

(क) विनिर्माता का नाम और पता या जहां विनिर्माता पैककर्ता नहीं है, वहां पर विनिर्माता और पैककर्ता का नाम और पता तथा किसी आयातित पैकज के लिए आयातकर्ता का नाम और पता प्रत्येक पैकज पर उल्लिखित होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण I – यदि किसी कंपनी का नाम और पता "द्वारा विनिर्मित अथवा द्वारा पैक" किन्हीं अर्हक शब्दों के बिना लेबल पर उल्लिखित किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसा नाम और पता उस विनिर्माता का होगा और उसी के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण II - यदि ब्रैंड का नाम और ब्रैड मालिक का पता लेबल पर विपणनकर्ता के रूप में प्रकट होता है तो इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए ब्रैंड मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानिक विनिर्माता के खिलाफ यथा अपेक्षित कर्रवाई की जाएगी और लेबल पर एक से अधिक नाम और पते छपे होने पर लेबल पर पहले स्थान पर अंकित विनिर्माता के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और न कि अन्य विनिर्माता के खिलाफ।

स्पष्टीकरण III – एसे पैकेजों के लिए जिनमें खाद्य वस्तुएं रखी हो, इस उपनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे, और इसके सिवाय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की अपेक्षा और उसेक अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू होंगे।

(ख) पैकेज में रखी गई वस्तु के सामान्य अथवा जातीय नाम और एक से अधिक उत्पाद वाले पैकजों के मामले में, प्रत्येक उत्पाद का नाम और संख्या अथवा मात्रा प्रत्येक पैकेज पर उल्लिखित होनी चाहिए।

(ग) पैकेज में रखी गई वस्तु के तोल या माप की मानक यूनिट के अनुसार शुद्ध मात्रा या जहां वस्तु का संख्याओं के अनुसार पैक या विक्रय किया जाता है वहां पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की संख्या उल्लिखित की जानी चाहिए।

(घ) मास और वर्ष जिसमें वस्तु का विनिर्माण किया गया या पहले से पैक किया गय अथवा आयात किया गया, पैकेज पर उल्लिखित किया जाना चाहिए।

परन्तु यह है कि ऐसे पैकेजों के लिए जिनमें खाद्य वस्तुएं अन्तर्विष्ट हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू होंगे;

परन्तु यह और कि इस उपखंड की कोई बात उन बीज वाले पैकजों के मामले में लागू नहीं होगी जिन पर बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन लेबल लगाए गए हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

परन्तु यह है कि विनिर्माता बिना ऊपर लिखे अर्थात काट कर लिखे बिना रबर स्टांप का प्रयोग करके माह और वर्ष उल्लिखित करें।

परन्तु यह भी है कि कॉस्मेटिक्स उत्पाद वाले पैकेजों के लिए ड्रम और कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के उपबंध लागू होंगे।

(ड.) पैकेज के खुदरा विक्रय मूल्य;
परन्तु यह कि अल्कोहोलिक बिवरेज अथवा स्पिरिटियूस लिकर वाले पैकेजों के लिए, राज्य उत्पाद कानून और इसके अंदर बनाए गए नियम उस राज्य के भीतर लागू होंगे जहां इन्हें निर्मित किया गया और जहां राज्य उत्पाद कानून और उनके तहत बनाए गए नियम फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा की व्यवस्था नहीं है, वहां इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

(च) जहां पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु के आकार सुसंगत हैं वहाँ पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई और यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसी प्रत्येक भिन्न वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई को उल्लिखित किया जाएगा।

(छ) ऐसी अन्य बातें जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट की गई है:
परन्तु यह कि –

(क) वह मास और वर्ष, जिसमें वस्तु को विनिर्मित किया जाता है अथवा पहले से पैक किया जाता है, की कोई घोषणा को उनके ऊपर उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है--

(i) बीड़ी अथवा सुगंधित अगरबत्ती वाला कोई पैकेज;
(ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा भरा गया और विक्रय किया गया 14.2 कि0 ग्रा0 अथवा 5 कि0 ग्रा0 का घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलैण्डर;

(ख) जहां कोई पैकेज की सामग्री जिस पर यह मास लिखा हुआ है जिसमें किसी वस्तु को पहले से ही पैक करने की प्रत्याशा की गई है, उस मास में पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आती है वहां ऐसी पैकेज

सामगी का प्रयोग ठीक अगले मास के दौरान उत्पादित या विनिर्मित संबंधित वस्तु को पहले से ही पैक करने के लिया जा सकेगा किन्तु उसके पश्चात नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसे पैकेज की यथास्थिति, विनिर्माता या पैककर्ता के नियंत्रण से परे किसी परिस्थिति के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान प्रयोग नहीं किया जा सकता है वह उस समय को बढ़ा सकेगा जिसके दौरान ऐसी पैकेज सामग्री को प्रयोग किया जा सकता है, और, जहां ऐसी उस पर विनिर्दिष्ट मास के अवसान से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां आगामी उत्तरवर्ती मास के दौरान उपयोग के लिए आशयित पैकेज की सामग्री संबंधित वस्तुओं को पहले से पैक किए जाने में उपयोग में लाई जा सकेगी;

परन्तु यह है कि ऐसे पैकजों के लिए जिनमें खाद्य उत्पाद अंतर्विष्ट हैं, वहां के पूर्व सर्वोत्तम या के पूर्व उपयोग की अवधि निर्माण या पैकिंग की तारीख से नब्बे दिन या उससे कम है, वह उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।

(ग) निम्नलिखित पर फुटकर विक्रय कीमत के बारे में किसी घोषणा की अपेक्षा नहीं होगी।

(i) कोई पैकेज जिसमें बीड़ियां हों;

(ii) कोई घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलैन्डर जिसका मूल्य सरकार प्रशासनिक मूल्य तंत्र के तहत कवर किया गया है।

स्पष्टीकरण I: वह मास और वर्ष, जिसमें वस्तु को पहले से पैक किया जाता है, शब्दों द्वारा या संख्याओं द्वारा उस मास और वर्ष को उपदर्शित करने वालों किन्हीं संख्याओं द्वारा या दोनों में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पैकेज पर व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष, ई मेल पता, यदि उपलब्ध होगा जिससे उपभोक्ता की शिकायतों की दशा में संपर्क किया जा सकता है।

(3) इन नियमों के तहत अपेक्षित परिवर्तन अथवा घोषणा करने के लिए पैकेज पर पृथक स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु यह है कि अधिकतम फुटकर मूल्य को कम करने के लिए संशोधित न्यूनतम अधिकतम फुटकर मूल्य (सभी कर सहित) का स्टीकर लेबल के पैकेज पर लगाया जाए और जैसा भी मामला हो इसमें विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा की गई अधिकतम फुटकर मूल्य घोषणा शामिल नहीं होगी।

(4) इन नियमों के अधीन किये जाने के लिये अपेक्षित घोषणा से भिन्न कोई घोषणा करने के लिये स्टीकरों का प्रयोग अनुज्ञेय होगा

(5) जहां वस्तु विभिन्न घटकों से मिलकर बनी हो और इन घटकों को दो या अधिक एककों में, एक वस्तु के रूप में विक्रय हेतु पैक किया गया हो, वहां उप नियम (1) के अधीन की जाने वाली घोषण मुख्य पैकेज पर होगी और ऐसे मुख्य पैकेज पर साथ के अन्य पैकेजों के बारे में भी सूचना रहेगी अथवा ऐसी घोषणा व्यक्तिगत पैकेजों पर दी जानी चाहिए और इस आशय की सूचना मुख्य पैकेज पर दी जानी चाहिए और यदि घटकों को स्पेयर पार्टस के रूप में बेचा जाता है, तो सभी

घोषणाएं प्रत्येक पैकेज दी जाए।

7. **प्रधान संप्रदर्शन पैनल – इसका क्षेत्र, आकार और अक्षर आदि** – (1) पाँच क्यूबिक सेंटीमीटर या उससे कम क्षमता वाले पैकेजो की दशा में, प्रधान संपदर्शन पैनल ऐसा कार्ड होगा अथवा सुदृढ़ रूप से चिपकाया गया टेप होगा जिस पर अपेक्षित जानकारी होगी।

(2) प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर, इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणा में किसी संख्या की ऊँचाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी:-

(i) जैसे सारणी-I में दिखाया गया है, यदि शुद्ध मात्रा को वज़न या आयतन में घोषित किया गया है;

(ii) जैसे सारण-II में दिखाया गया है, यदि शुद्ध मात्रा को लंबाई क्षेत्रफल या संख्या में घोषित किया गया है।

(3) घोषणा में शब्दों की ऊँचाई 1 मि0 मीटर ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिए और जब इसे धमित, अभिरुपित, मोड़ा, उभारा अथवा छेदित किया जाता है, तो अक्षरों की ऊँचाई 2 मि0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह है कि अक्षर अथवा संख्या की चौड़ाई संख्या (i) और अक्षरों (I), (1) और (1) को छोड़कर इसकी ऊँचाई की एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए;

सारणी-I

संख्या की न्यूनतम ऊँचाई

क्र0 सं0	वजन/आयतन में शुद्ध मात्रा	न्यूनतम ऊँचाई मि0 मी0 में	
		सामान्य दशा	जब अधान पर धमित, अभिरुपित ढाली गई, उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो।
1	200 ग्रा0/मि0ली0 तक	1	2
2	200 ग्रा0/मि0ली0 से ऊपर और 500 ग्रा0/मि0ली0 तक	2	4
3	500 ग्रा0/मि0ली0 से ऊपर	4	6

सारणी – II

संख्या की न्यूनतम ऊँचाई

क्र0 सं0	लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या में	न्यूनतम ऊँचाई मि0 मी0 में

	न्यूनतम शुद्ध मात्रा, प्रधान संप्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल		
		सामान्य दशा	जब अधान पर धमित, अभिरुपित ढाली गई, उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो।
1	100 सें0 मी0 वर्ग तक	1	2
2	100 सें0मी0 वर्ग से ऊपर और 500 सें0 मी0 तक	2	4
3	500 सें0 मी0 से ऊपर और 2500 सें0मी0 वर्ग तक	4	6
4	2500 सें0 मी0 वर्ग से ऊपर	6	6

(4) उप नियम (1) से (3) के तहत उपबंध किसी ऐसे पैकेज को उस दशा में लागू नहीं होंगे जब इस नियम के अधीन ऐसे पैकेज पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी, तत्समय किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन भी दी जानी अपेक्षित है।

8. घोषणा कहां लगी होगी:-

(1) इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक घोषणा प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर लगाई जाएगी।

परन्तु मात्रा की घोषणा के आस-पास क्षेत्र मुद्रित सूचना से मुक्त होगा।

(क) ऊपर और नीचे कम से कम घोषणा में की संख्या की ऊँचाई के बराबर स्थान, और
(ख) दाएं और बाएं कम से कम घोषणा में की संख्या की ऊँचाई के दुगने स्थान, का क्षेत्र मुद्रित सूचना से मुक्त रखा जाएगा।

(2) साफ्ट ड्रिंक, रेडी टू सर्व फ्रूट बीवरेजज या इसी प्रकार की बोटल जो उपभोक्ता द्वारा पुनः भरने के लिए वापिस की जाती है, फुटकर विक्रय मूल्य या तो क्राउन कैप पर अंकित किए जाएं, अथवा बोटल पर अथवा दोनों पर और यदि फुटकर विक्रय मूल्य क्राउन कैप अथवा बोटल पर अंकित होते हैं, तो यह फुटकर विक्रय मूल्य को एम0 आर0 पी0 रू......../ ₹............ में अंकित करना पर्याप्त होगा।

9. घोषणा की रीति – (1) इन नियमों अधीन किसी पैकज पर किए जाने के लिए अपेक्षित हर घोषणा ---
(क) सुपाठ्य, और बड़े अक्षरों में;

(ख) फुटकर विक्रय मूल्य और शुद्ध मात्रा की संख्या की घोषणा पैकेज पर ऐसे रंग में मुद्रित, पेंट की गई अथवा अंकित की गई जो कि लेबल की पृष्ठभूमि से स्पष्टतया पृथक होगी;
परन्तु कि:

(क) जहां कोई लेबल पर जानकारी किसी कांच या प्लास्टिक के तल पर धमित, अभिरुपित अथवा ढाली गई हो, वहां ऐसी जानकारी की भिन्न रंग में उपदर्शित किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी;

(ख) जहां किसी पैकेज पर कोई घोषणा या तो हस्तलिखित या हस्तलिपि के रूप में मुद्रित की गई हो, वहां ऐसी घोषणा स्वरुप, असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी।

(2) ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे पैकेज में अंतर्विष्ट किसी तरल वस्तु के माध्यम से पढ़े जाने की अपेक्षा हो।

(3) जहां किसी पैकेज के बाह्य आयान या अविष्ठन की व्यवस्था की गई हो वहां, ऐसे आयान अथवा अविष्ठन पर वे सभी घोषणाएं होंगी जो पैकेज पर प्रकट होनी अपेक्षित हो, ऐसे आयान अथवा अविष्ठन जो स्वयं पारदर्शी हो, के सिवाय, और पैकेज पर इन घोषणाओं को ऐसे अविष्ठन के माध्यम से आसानी से पढ़ा जा सके।
परन्तु इन नियमों के अधीन यथापेक्षित अंतः पैकेज पर ऐसी किसी घोषणा की अपेक्षा नही होगी, यदि अंतः पैकेज में बाह्य आयान पर कोई घोषणा अंतर्विष्ट नहीं है ।

(4) किसी पैकेज पर इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा की विशिष्टियां या तो देवनागरी लिपि में हिन्दी या अंग्रेजी में होगी:
परन्तु इस उपनियम के निहित कोई बात हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

10. विनिर्माता, आदि के नाम और पते की घोषणा – (1) नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय के लिए रखे गए, प्रस्तुत या छोड़े गए या बेचे गए प्रत्येक पैकेज पर विनिर्माता का नाम और पूरा पता या जहां विनिर्माता पैककर्ता नहीं हैं, वहां विनिर्माता और पैककर्ता का नाम और पता और आयातित पैकेजों के मामले में आयातकर्ता का नाम और पता पैकेज पर सहत दृश्य रूप में होगा:

परन्तु 5 क्यूबिक से0 मी0 या उससे कम की क्षमता के पैकेजों के लिए, इस उप नियम की यह पर्याप्त अनुपालन होगी, यदि कोई ऐसा चिन्ह या लेख जिससे उपभोक्ता विनिर्माता या पैककर्ता की पहचान करने में समर्थ हो, जो भी मामला हो, पैकेज पर लगायाय जाता है:

परन्तु यह और कि जहां कोई वस्तु भारत से बाहर निर्मित की जाती है और भारत में पैक की जाती है, वहां पैकेज पर भारत में पैककर्ता अथवा आयातकर्ता का नाम और पूरा पता प्रधान संप्रदर्शन पैनल

पर भी होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम में, 'पूरा पता" से अभिप्रेत है, पूरा पता जहां फैक्टरी स्थित है, और कोई अन्य मामले में, सड़क का नाम, विनिर्माता अथवा पैकर में परिसरों को दिए गए संख्यक (यदि कोई हो) अथवा या तो शहर और राज्य का नाम जहां जहां पर कारोबार विनिर्माता अथव पैककर्ता द्वारा बनाया जाता है अथवा पिनकोड ताकि उपभोक्ता विनिर्माता अथवा पैकर अथवा आयातकर्ता का, जैसा भी मामला हो, का नाम पहचान और पता लगा सके।

(2) विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता का नाम वास्तविक निगमित नाम होना चाहिए अथवा यदि वह निगमित नहीं है तो वह नाम होगा जिसके अधीन भारत में ऐसे विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है।

11. **मात्रा की घोषणा के संबंध में सामान्य उपबंध** – (1) किसी पैकेज में अनतर्विष्ट वस्तु की शुद्ध मात्रा की घोषणा करने में, अविष्ठनों अंार वस्तु में भिन्न अन्य सामग्रियों का वज़न निकाल दिया जाएगा।

(2) जहां पैकेज में रखी गई वस्तु के तोल या माप में पर्यावरणीय दशाओं के कारण कोई परिवर्तन होने की संभावना न हो, वहां पैकेज पर घोषित मात्रा उस शुद्ध मात्रा के बराबर होगी जो उपभोक्ता को प्राप्त होगी, और ऐसे पैकेज पर वस्तु की मात्रा की घोषणा पैक करने के समय और ऐसे ही शब्दों को जोड़ा नहीं जाएगा।

(3) उपनियम (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां पैकेज में रखी किसी वस्तु के तोल और माप में पर्यावरणीय दशाओं के कारण परिवर्तन होने की संभावना हो और ऐसा परिवर्तन नगण्य हो, ऐसे पैकेज के संबंध में मात्रा की घोषणा ऐसे परिवर्तन को ध्यान में रखने के पश्चात की जाएगी जिससे कि उपभोक्ता को पैकेज पर घोषित वस्तु की शुद्ध मात्रा से कम प्राप्त न हो और ऐसे पैकेज पर भी मात्रा की घोषणा भी "पैक करने के समय" या ऐसे ही शब्द नहीं जोड़े जाएंगे।

(4) ऐसी वस्तुओं के संबंध में मात्रा की घोषणा पर्यावरणीय दशाओं या अन्य दशाओं के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सभावना हो, को "पैक करने के समय" शब्दों द्वारा विशेषित किया जाएगा यथा तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

12. **मात्रा की घोषणा अभिव्यक्त किए जाने की रीति** – (1) मात्रा की घोषणा, तोल, माप या संख्या या तोल, माप या संख्या के ऐसे संयोजन से अभिव्यक्त की जाएगी जो पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के संबंध में उपभोक्ता को सही और पर्याप्त जानकारी दे।

(2) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सिवाय मात्रा की घोषणा निम्नलिखित इकाईयों में होगी :-

(क) द्रव्यमान, यदि वस्तु ठोस, अर्द्ध ठोस, विस्कासी या ठोस और तरल का मिश्रण है;

(ख) लम्बाई, यदि वस्तु रेखिक आकार के अनुसार बेची जाती है;

(ग) क्षेत्र, यदि वस्तु खेत्रीय माप के अनुसार बेची जाती है;

(घ) आयतन, यदि वस्तु तरल हो अथवा क्यूबिक माप के अनुसार बेची जाती है अथवा;

(ड.) संख्या, यदि वस्तु संख्या के अनुसार बेची जाती है।

(3) जहां मात्रा की घोषणा द्रव्यमान के अनुसार की गई हो वहीं निर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा, यथास्थिति, पैककर्ता अपने विकल्प पर पैकेज में अन्तर्निष्टि वस्तु की संख्या की बावत अतिरिक्त घोषणा कर सकेगा।

(4) जहां केवल तोल अथवा माप या संख्या के अनुसार मात्रा की घोषणा पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की विमा या संख्या की बावत पूर्ण जानकारी उपभोक्ता को देने के लिए पर्याप्त न हो, वहां ऐसी घोषणा के साथ जहां आवश्यक हो पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की विमा या संख्या या दोनों की घोषणा भी होगी।

(5) जहां पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु के बारे में उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता हो, वहां ऐसी जानकारी भी उसी पैनल पर प्रकट की जाएगी जिस पर इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य जानकारी उपदर्शित की गई हो।

(6) मात्रा की घोषणा में ऐसा कोई शब्द या पद अन्तर्विष्ट नहीं होगा, जिससे पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर भ्रामक या अपर्याप्त प्रभाव पड़े, उदाहरणार्थ न्यूनतम, से कम नहीं, औसत, लगभग, अनुमानतः या इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द।

(7) 5 क्यूबिक से0 मी0 या उससे कम क्षमता वाले पैकेजों के लिए मात्रा की घोषणा आधान पर लगाए गए टैग, कार्ड, फीते या वैसी ही किसी अन्य चीज पर ऐसी रीति में की जायेगी जिसे आयान को खोले बिना हटाया न जा सकता हो और ऐसे प्रत्येक टैग, कार्ड, फीते या अन्य चीज पर ऐसा कोई चिन्ह या लेखा होगा जिससे उपभोक्ता, यथास्थिति विनिर्मात या पैककर्ता की पहचान करने में समर्थ हो सके।

13. बाट, माप तथा संख्या में यूनिटों का विवरण – (1) बाट अथवा माप अथवा संख्या की इकाई यथास्थिति उप नियम (2) अथवा उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों के अनुसार विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) जब निम्न से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो –

(क) एक किलोग्राम से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तब भार का इकाई ग्राम होगी;

(ख) एक मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो लम्बाई का यूनिट सेंटीमीटर होगा;

(ग) एक वर्ग मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग डेसिमीटर होगा;

(घ) एक क्यूबिक मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट एक क्यूबिक सेंटीमीटर होगा;

(ड.) एक क्यूबिक डेसीमीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होगा;

(च) एक लीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट मिली लीटर होगा;

(3) जब निम्नलिखित के समतुल्य या उससे अधिक मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो -

(क) एक किलोग्राम, तो भार का यूनिट किलोग्राम होगा और किलोग्राम के अंश, किलोग्राम के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;

(ख) एक मीटर जो लम्बाई की यूनिट मीटर होगी और मीटर को अंश दशमलवी उपगुणकों के अथवा सेंटीमीटर में अभिव्यक्त किए जाएंगे;

(ग) वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर होगी और वर्गमीटर के अंश, वर्गमीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;

(घ) क्यूबिक मीटर, आयतन का यूनिट क्यूबिक मीटर होगा और क्यूबिक मीटर के अंश, क्यूबिक मीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;

(ड.) एक लीटर, आयतन का यूनिट लीटर होगा और लीटर का कोई अंश, लीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे:

परन्तु जहां अभिव्यक्त की जाने वाली मात्रा, याथास्थिति एक किलोग्राम, एक मीटर, एक वर्ग मीटर, एक क्यूबिक डेसीमीटर, एक क्यूबिक मीटर अथवा एक लीटर के समतुल्य है, वहां ऐसी मात्रा से विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता के विवेकानुसार ग्राम, यथास्थिति, सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या मिली मीटर के अनुसार अभिव्यक्त की जा सकती है।

(4) किसी भी पैकेज पर कोई दर्जन, **स्कोर, ग्रास, ग्रेट ग्रास** या इसी प्रकार की किसी भी संख्या को विनिर्दिष्ट या उपदर्शित नहीं किया जाएगा।

(5) यूनिटों के प्रतीक:- (i) पैकेज की शुद्ध मात्रा देने में अंतर्राष्ट्री प्रणाली के एस आई यूनिटों के प्रतीक का प्रयोग किया जाएगा, किसी अन्य प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) संख्या द्वारा बेची गई मदों के लिए प्रतीक एन अथवा यू होना चाहिए।

14. कुछ वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई के संबंध में घोषणाएं – जब किस पैकेज में वस्तुएं जैसे बैड शीट, धारीदार फैब्रिक **सामग्री**, धोतियां, साड़ियां, नेपकिन तकियों के कवर, तौलिए, टेबल क्लाथ या अन्य ऐसी वस्तुएं हो तो ऐसी वस्तुओं के तैयार किए गए आकार की **विमा** और संख्या पैकेज पर अथवा उन पर लगाए गए लेबल पर घोषित की जाएगी।

परन्तु जहां पैकेज में विभिन्न **विमा** की मदें एक से अधिक हों वहां पैकेज पर ऐसी प्रत्येक मद की विमा और खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा भी रहेगी

परन्तु यह और कि वस्तुओं की विमा और उनके खुदरा विक्रय मूल्य प्रत्येक मद पर भी अंकित होंगे।

15. **कतिपय मामलों में पैकजों पर विमा और भार के संबंध में घोषणाएं** – जहां किसी वस्तु की विमा और भार या दोनों के समुच्चय का संबंध वस्तु की कीमत से हो तो ऐसी वस्तु से युक्त पैकेज पर मात्रा की घोषणा के साथ ऐसी विमा, भार या उनके समुच्चय की घोषणा भी रहेगी।

16. **प्रयोग योग्य शीटों की संख्या की बावत की जाने वाली घोषणाएं बताई जाएं** - ऐसे पैकेज के मामले में जिनमें एल्युमिनियम फायल, फैशियल, टिश्यू, वैक्सड कागज, टायलट कागज या कोई अन्य प्रकार की शीटें हो वहां पैकेज पर मात्रा की बावत की जाने वाली घोषणा के अतिरिक्त पैकेज में रखी गई प्रयोग योग्य शीटों की संख्या और ऐसी प्रत्येक शीट की विमा का विवरण भी रहेगा।

17. **आधान के किस्म की वस्तुओं की विमा के बारे में घोषणा कैसे अभिव्यक्त की जाए**– अन्य वस्तुओं या पदार्थों के आधान के रूप में उपयोग किये जाने के लिए फुटकर व्यापार में विक्रय के लिए बनाई और बेची गई वस्तुएं जैसे थैले, संदूक, कप, तसले या इसी प्रकार की अन्य चीजों पर उनकी मात्रा क्षमता की घोषणा की पर्ची निम्नलिखित रूप में लगाई जायेगी:-

(i) थैले की किस्म की वस्तुओं के लिए, आधानों में रखे जाने वाले थैलों के थैलों की रेखिक विमा सहित चाहे वह छिद्रित रोल अथवा अन्यथा पैकेज में बंद किए गए हो;

(ii) वर्गाकार, ओबलाग, आयताकार या इसी प्रकार की आकृति वाले आधान उनमें अन्तर्विष्ट किये जाने वाले आधानों की संख्या के आधार पर लंबाई, चौड़ाई और यदि आवश्यक हो तो उसकी गहराई सहित;

(iii) गोलाकार अथवा सामान्यत: गोल आकार आधान, परन्तु इनमें कप नहीं अथवा उनमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली वस्तुओं की संख्या के अनुसार, आधान के व्यास सहित यदि आवश्यक हो तो गहराई सहित;

(iv) जब आधान के उपयोग का संबंध पर्ची सन्दर्भो से है तो मानक बाट अथवा माप के साथ किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग को धारित करने की आधान की क्षमता के साथ जोड़ा गया हो तो ऐसे संदर्भो को उस परिमाण की घोषणा में सम्मिलित किया जाएग।

18. **थोक व्यौहारियों और फुटकर व्यौहारियों के बारे में उपबंध** (1) कोई भी थोक व्यौहारी या फुटकर व्यौहारी अथवा आयातकर्ता किसी भी पैकेज बंद वस्तु को वितरण, परिदान, प्रदर्शन या विक्रय के लिए भंडार तब तक नहीं करेगा जब तक पैकेज सब तरह से अधिनियम और इन नियमों के उपबंध के अनुरूप न हो।

(2) कोई फुटकर व्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, विनिर्माता, पैकर, आयातकर्ता और थोक विक्रेता व्यौहारी सहित किसी भी पैकेज में रखी गई वस्तु का विक्रय पैकेज के फुटकर विक्रय कीमत के अधिक पर नहीं करेगा।

(3) जहां विक्रय के लिए कसी वस्तु के पूर्व पैकेज बन्द किये जाने के पश्चात ऐसी वस्तु की

बावत संदेय कोई कर संशोधित कर दिया जाता है, वहां फुटकर व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी वस्तु का फुटकर विक्रय विनिर्माता या जहां विनिर्माता पैकर नहीं है, पैकर द्वारा फुटकर विक्रय कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा; और यथास्थिति विनिर्माता या पैकर का यह कर्तव्य हागा कि एक या अधिक समाचार पत्रों से कम से कम दो विज्ञापन देकर और व्यौहारियों को सूचना के परिपत्र द्वारा भी केन्द्रीय सरकार में निदेशक तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र क नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को सूचना भेजकर ऐसे पैकेजों को पुनरीक्षित कीमत उपदर्शित करें किन्तु पैकेज पर अंकित कीमत और पुनरीक्षित कीमत में अंतर किसी भी दशा में बढ़ाये गये कर की सीमा तक या जहां नया कर अधिरोपित किया गया हो उसे अधिरोपित नये कर की रकम से अधिक नहीं होगा:

परन्तु किसी समाचार पत्र में ऐसी संशोधित कीमत का प्रकाशन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन संदेय किसी कर के अधिरोपित या वृद्धि के कारण हुई है:

परन्तु यह और कि फुटकर व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति उन पैकेजों के भिन्न किसी पैकेज की बावत ऐसी पुनरीक्षित कीमत प्रभारित नहीं करेगा जिन पर ऐसे चिन्ह हैं जो यह उपदर्शित करते हैं कि वे कर में वृद्धि या नये कर अधिरोपित किये जाने वाले मास में या पूर्वोक्त मास से ठीक आगामी मास में पूर्व पैकेज बन्द किये गये थे;

परन्तु यह और भी कि जहां पुनरीक्षित कीमत पैकेज पर अंकित कीमत से कम हो वहां फुटकर या अन्य व्यक्ति जिस मास में वह वस्तु पैकेज बन्द की गई थी उस पर ध्यान दिये जाये बिना, पुनरीक्षित कीमत से अधिक कीमत प्रभारित नहीं करेगा।

(4) उप नियम (3) की कोई बात पैकेज पर लागू होगी जिन पर इन नियमों के अधीन उसके पैकेज बन्द किये जाने का मास और वर्ष उपदर्शित किये जाने की अपेक्षा न की गई हो।

(5) कोई भी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति यथास्थिति पैकेज या उस पर लगाये गये लेबल पर विनिर्माता या पैकर अथवा आयातकर्ता द्वारा उपदर्शित विक्रय कीमत को कम अधिक या परिवर्तित नहीं करेगा।

(6) विनिर्माता अथवा पैकर अथवा आयातकर्ता पैकिंग के लिए एक बार मुद्रित अथवा प्रयुक्त अवेष्ठन पर कीमत को परिवर्तित नहीं करेगा।

(7) सभी फुटकर विक्रेता जो मूल्य वृद्धि कर (वेट) अथवा टर्न ओवर टैक्स (टी ओ टी) के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है वे कम से कम **यथार्थता वर्ग** III वाली इलैक्ट्रानिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा, मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद जरी करने की सुविधा वाली

तौलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं को लाभ के लिए निशुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वज़न को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।

19. **विनिर्माता या पैकर के परिसर में पैकेजों की मात्रा और त्रुटियों का निरीक्षण** – (1) इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई पैकेज या पैकेज समूह सब तरह से इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं, अधिनियम की धारा 15 के अधीन निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी (जिन्हें इन नियमों में इसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) विनिर्माता के परिसर में या जहां विनिर्माता पैकर नहीं है पैकर के परिसर में पैकेजों की परीक्षा और परीक्षण कर सकता है और जब वह ऐसी परीक्षा या परीक्षण कर रहा हो तो वह ऐसे पैकेज समूह में से ऐसी रीति में और ऐसी संख्या में नमूने निकालेगा जो पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और परीक्षण छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किये जायेंगे।

(2) निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किये गये परीक्षण का परिणाम सविस्तार सातवीं अनुसूची में अधिकथित प्ररूप में दर्ज करेगा और उस प्ररूप पर यथास्थिति विनिर्माता या पैकर के या प्राधिकृत अभिकर्ता या दोनों की अनुपस्थिति में या हस्ताक्षर देने से इन्कार करने की दशा में किसी सक्षम साक्षयी का हस्ताक्षर लेगा। परिणाम अन्तर्विष्ट करने वाले आंकड़ा-पत्र की एक प्रति यथास्थिति विनिर्माता या पैकर को दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन ली जाने वाली परीक्षा और परीक्षणों के पूर्ण होने पर, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वह इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित घोषणाओं और नमूना पैकेजों में समाविष्ट वास्तविक शुद्ध मात्रा तथा त्रुटि की सीमा, यदि कोई हो, जो उसके द्वार देखी गई हो, के लिए अपने निष्कर्ष उपदर्शित करेगा तथा उस रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति विनिर्माता या पैकर को देगा।

(4) यदि उप नियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत हो कि –

(क) नमूनों के रूप में लिए गये पैकजों के समाविष्ट शुद्ध मात्रा की औसत सांख्यिकी, पैकेज पर या उस पर निपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा से कम है; या

(ख) ऐसा कोई पैकेज, **जो** अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक न्यूनता त्रुटि दर्शित करता है, तो निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अच्छे और पर्याप्त कारण से विनिर्माता या पैकर या उसके प्राधिकृत अभिकृता द्वारा ऐसा करने के लिए निवेदन किये जाने पर, यावत शक्य शीघ्र इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नये नमूने लेगा और नये सिरे से परीक्षण करेगा तथा जहां नये सिरे से परीक्षण किये गये हों, वहां यथास्थिति, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी विनिर्माता या पैकर से, **फीस** के रूप में दो हजार पाँच **सौ** रुपये नये सिरे से परीक्षण करने

के लिए संग्रहण करेगा।

परन्तु जहां नये सिरे से परीक्षण किये गए हो, वहां उस लॉट में समाविष्ट कोई भी पैकेज जिसकी पहले इस नियम के अधीन परीक्षा की गई थी, विनिर्माता या पैकर उसका विक्रय या वितरण नहीं करेगा जब तक कि यथास्थिति, उपनियम (5) या उपनियम (6) के उपबंधों का पालन नहीं किया गया हो।

(5) (क) जहां, इस नियम के अधीन किए गए किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि उस लॉट में समाविष्ट कोई पैकेज अधिनियम की किसी उपबंध अथवा उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो, विनिर्माता अथव पैकर लॉट में निहित सभी पैकेजों की शतप्रतिशत जांच करेगा और उस लॉट में से ऐसी पैकेज चुन लेगा जो इस अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों के अनुरूप है।

(ख) जहां निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी का समाधान हो जाये की विनिर्माता या पैकर द्वारा चुने गये पैकेज इस अधिनियम या इन नियमों के अनुरूप हो तो वह इन पैकेजों का विक्रय, वितरण या परिदान प्राधिकृत करेगा।

(ग) जहां विक्रेता अथवा पैकर द्वारा ऐसी शतप्रतिशत जांच के परिणामस्वरूप कोई पैकेज इस अधिनियम या इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के अनुरूप न यपाया जाये तो ऐसा पैकेज तब तक विक्रय, वितरित या परिदत्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे यथास्थिति इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पुन: पैक, पुन:संसाधित या पुन: लेबल न किय गया हो।

(6) पैकेजों का को लॉट विक्रय के लिए केवल तभी अनुमादित किया जाएगा जब इस नियम के अधीन किये गये परीक्षणों के परिणाम स्वरूप या पाया जाए कि (क) नमूना पैकेज मं समाविष्ट शुद्ध मात्रा की सांख्यिकीय औसत, पैकेज पर या उस पर चिपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा के बराबर है या उससे अधिक है।

(ख) ऐसा नमूना पैकजों में से किसी से न्यूनता में त्रुटि की सीमा, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक नहीं है।

(ग) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर या इस पर चिपकाये गए लेबल पर इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणायें होंगी।

(7) पैकेजों पर अनिवार्य घोषणाओं की अपेक्षा फैक्टरी स्तर पर अथवा फैक्टरी के डिपो पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(8) इन नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने पर इन पैकेजों के पाँच प्रतिनिधिक नमूनों को पकड़ कर साक्ष्य के रूप में कार्रवाई की जा सकती है और शेष पैकेजों को यथास्थिति विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर पैकेजों को जारी किया जाएगा।

20. विनिर्माता या पैकर के परिसरों पर पैकजों की परीक्षा पूर्ण होने पर की जाने वाली कार्रवाई:-

(1) यदि नियम 19 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि --

(क) इस नियम के अधीन नमूनों के रूप में लिए गये पैकेजों में निहित शुद्ध मात्रा के सांख्यकीय औसत, पैकेजों पर या उन पर चिपकाये गये लेबलों पर घोषित मात्रा से कम है, य ऐसे किसी पैकेज में दिखाई गई न्यूनता त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है, अथवा

(ख) किसी पैकेज पर या उस पर चिपकाये गये लेबल पर, इन नियमों के अधीन की जाने वाली घोषणाएं नहीं हैं, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी निम्नानुसार कार्रवाई कर सकता है नामत:-

(i) उसके द्वारा नमूनों के रूप में लिए गए पैकेजों को अधिग्रहित कर सकता है और अधिग्रहित किए गए नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा जब तक कि वे साक्ष्य के रूप में उपयुक्त कोर्ट में पेश नहीं किए जाते।

(ii) अधिनियमों के उपबंधों और इन नियमों के उल्लंघन के लिए साक्ष्य प्रारम्भिक कार्रवाई के आधार पर:

परन्तु यदि नियम 19 के उपनियम (4) के अधीन नये सिरे से परीक्षण किये गये हो तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, परन्तु यदि ऐसे नये परीक्षणों के पश्चात इस उपनियम में यथा प्रतिनिर्दिष्ट किसी त्रुटि अथवा भूल का पता लगा हो तो निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी यथा स्थिति विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकता है।

(3) अधिग्रहित पैकेजों व्ययन अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

21. थोक व्यौहारी या फुटकर व्यौहारी के परिसरों पर पैकेजों की मात्रा और त्रुटि की निरीक्षण

(1) साधारणतया, किसी पैकेज में अन्तर्हित शुद्ध मात्रा से संबंधित कोई परीक्षण फुटकर व्यौहारी या थोक व्यौहारी के परिसर पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि-

(i) निदेशक, अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी को इस आशय की कोई शिकायत न प्राप्त हुई हो कि शिकायतकर्ता को विकय किये गये या परिदत्त किये गये किसी पैकेज में, उस पर या इस पर चिपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा से कम है।

(ii) निदेशक अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी पैकेज के साथ छेड़खानी की गई है या पैकेज में अन्तर्निहित वस्तु की कोई चौरी या परिसन हुई है

(iii) निदेशक अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी पैकेज अथवा उस पर चिपकाये गए किसी लेबल पर, इन नियमों के अधीन बनाये जाने के

लिए अपेक्षित सभी या उनमें से कोई घोषणा नहीं है।

(2) जहां उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में कोई परीक्षण किया गया हो वहां निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि उस पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा उस पैकेज या उस पर पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा उस पैकेज या उस पर चिपकाये गए लेबल पर घोषित मात्रा के अनुरूप है या नहीं और जहां और जहां पैकेज में अंतर्निहित मात्रा घोषित मात्रा से कम हो कि न्यूनता उस वस्तु के संबंध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है या नहीं।

(3) जहां निदेशक नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि फुटकर या थोक व्यौहारी के परिसर पर विक्रय, वितरण या परिदान के लिए रखे या भण्डारकृत किये गये किसी पैकेज में न्यूनता त्रुटि उस वस्तु के संबंध में अधिक अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है तो वह उस पैकेज को अभिग्रहित कर लेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में यथास्थिति फुटकर या थोक व्यौहारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा।

परन्तु जहां पैकेज पर जब पैक किया गया आख्यान लिखा हो तो यदि निदेशक या नियंत्रक मापविज्ञान अधिकारी का आवश्यक परीक्षणों के पश्चात यह समाधान हो जाय कि पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा में त्रुटि पर्यावरणी दशाओं में के कारण है तो वैसे फुटकर या थोक व्यौहारी के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(4) जहां, इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि पैकेज में अन्तर्निहित शुद्ध मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप है या जहां न्यूनता हो, ऐसी न्यूनता, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक नहीं है तो फुटकर व्यौहारी ऐसे परीक्षणों में पाई गई मात्रा के आधार पर अवधारित कीमत पर उस वस्तु को विक्रया या परिदत्त या वितरित करने के लिए स्वतंत्र है।

(5) जहां, इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि पैकेज या उस पर चिपकाये गये लेबल पर इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित सभी या कोई घोषणायें नहीं हैं तो निदेशक या नियंत्रक अथवा विधिक मापविज्ञान अधिकारी के लिए ऐसी जांच जैसे कि वह स्रोत जिससे वह पैकेज थोक व्यौहारी या फुटकर व्यौहारी ने प्राप्त किया यथास्थिति जैसी वह उचित समझे करना वैध होगा।

22. पैकेजों पर अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की स्थापना:-

(1) वस्तुओं के संबध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि वह होगी जो प्रथम अनुसूची में अंकित की गई है।

(2) पैकेजों में रखी गई वस्तुओं के संबंध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि स्थापित करते समय, मात्रा में फेरबदल करने वाले निम्नलिखित कारणों की ओर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात:-

(क) अच्छी पैकिंग पद्धति के दौरान अलग अलग पैकेजों में रखी गई अन्र्तवस्तुओं के भार, मापन अथवा गणना में हुए अपरिहार्य परिवर्तन द्वारा हुई फेरबदल;

(ख) सामान्य और रुढिगत अनावृत अवस्थाओं जैसे वातावरण, परिवहन, भण्डारण या किसी इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण हुई फेरफार जी व्यवसाय या वाणिज्य के वस्तुओं के जाने के पश्चात अच्छी वितरण पद्धति के द्वौरान सामान्यत: हो जाती है; और

(ग) पैकिंग सामग्री या आधान की प्रकृति के कारण हुई फेरफार।

(3) निदेशक, नियंत्रक या माप विधिक विज्ञान अधिकारी किसी वस्तु के बारे में, उसकी शुद्ध मात्रा की बावत जो "जब पैक किया गया" शब्दों द्वारा सीमित होगी, जिसमें वातावरणीय परिस्थितियों के कारण युक्तियुक्त परिवर्तन की संभावना होगी, घोषणा का अवधारण करेगा या कराएगा।

23. त्रुटिपूर्ण पैकेजों का फिर से पैक किया जाना या ऐसा न करने पर उनका अभिग्रहण किया जाना:-

(1) यदि नमूना पैकेजों में रखी गई शुद्ध मात्रा का अवधारण करने पर, निदेशक या नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी यह पाता है कि पैकेजों में रखी गई वस्तु की मात्रा, पैकेज या उस पर चिपकाए गए लेबल पर घोषित मात्रा के अनुरूप है और पैकेज त्रुटिपूर्ण है तो वह विनिर्माता या पैकर से अपेक्षा करेगा कि वह उस पैकेज को फिर से पैक करे या उस पर फिर से लेबल लगाए और यदि यथास्थिति, विनिर्माता या पैकर उसे त्रुटिपूर्ण पैकेज को इन नियमों द्वारा या उनके अधीन स्थापित मानकों अनुसार फिर से पैक करने या या फिर से लेबल लगाने में असफल रहता है तो वह उनका अभिग्रहण करेगा और इस अधिनियम के अनुसार उचित दाण्डिक कार्यवाही करेगा और जब तक वे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश न किए जाएं तब तक ऐसे पैकेजों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए त्रुटिपूर्ण पैकेज से ऐसा पैकेज अभिहित है जो उपभोक्ता को उसमें अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में जानबूझकर अतिश्योक्तिपूर्ण या भ्रामक आभास देता है। किन्तु यथास्थिति विनिर्माता या पैकर द्वारा बृहत्तर माप वाले पैकेज को इस आधार पर न्योचित ठहराया जा सकता है कि ऐसे पैकेज में रखी गई वस्तु को संरक्षण देने के लिए ऐसे माप आवश्यक हैं या वे ऐसे पैकेज को भरने के लिए उपयोग में लाई गई मशीन को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

(2) यदि अभिग्रहित पैकेजों में कोई ऐसी वस्तु है जो शीघ्र ही या स्वाभाविक रूप से नष्ट हो सकती हैं तो निदेशक या नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बनाए

गए नियमों के अनुसार वस्तु का निपटारा कर सकेगा।

अध्याय – III
थोक पैकेजों को लागू उपबंध

24. प्रत्येक थोक पैकेज के बावत घोषणाएं की जाएंगी –

प्रत्येक थोक पैकेज पर सुवाच्य, निश्चित, सरल और स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित के बावत घोषणा की जाएगी —

(क) विनिर्माता या आयातक का या जहां विनिर्माता या आयातक पैकर नहीं है वहां पैकर का, नाम और पता;
(ख) पैकेज में रखी गई वस्तु की पहचान; और
(ग) उस थोक पैकेज में रखी गई फुटकर पैकेजों की कुल संख्या, या थोक पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा को भार, माप या संख्या की मानक यूनिट में;
परन्तु यह कि इस नियम में कुछ भी थोक मूल्य पैकेज के संबंध में लागू नहीं होगा यदि घोषणा इस नियम में घोषणाओं के अनुरूप है, तो उसे तत्समय विधि द्वारा अथवा उसके द्वारा किसी विधि के तहत ऐसे थोक विक्रय पैकेजों पर किया जाना अपेक्षित होगा।

अध्याय – IV
पैकबंद वस्तुओं का निर्यात

25. **भारत में निर्यात पैकेजों के विक्रय पर निर्बंधन** – किसी भी निर्यात पैकेज का भारत में तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा, जब तक विर्निमाता या पैकर उस वस्तु के अध्याय – 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार फिर से पैक नहीं कर देता या उन पर फिर से लेबल नहीं लगा देता और जहां ऐसी पैकिंग या लेबल के बिना निर्यात पैकेज भारत में बेचे जाते हैं तो ऐसे पैकेज का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिगहण किया जा सकता है।

अध्याय V
छूट

26. **कुछ पैकेजों के बारे में छूट** – इन नियमों की कोई बात ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी जैसे कोई वस्तु यदि –
(क) यदि भार या माप द्वारा बेचा जाए तो वस्तु का शुद्ध भार 10 ग्राम या 10 मि0 ली0 या उससे कम है;
परन्तु यह कि 10 ग्राम से 20 ग्राम या 10 मि0 ली0 से 20 मि0 ली0 के पैकेजों पर, अधिकतम फुटकर कीमत और शुद्ध मात्रा के संबंध में घोषणा की जायेगी.

(ख) कोई भी पैकेज जिसमें रेस्तरां/होटल या सदृश्य द्वारा द्रुत खाद्य सामग्री पैकी गई हो;

(ग) इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन किए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित विनिर्मितियां और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियां हैं;

(घ) 50 कि0 ग्राम से ऊपर के पैकेजों में कृषि फार्म उपज।

अध्याय- VI
विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण

27. विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण –

(1) प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, हिन्दु अविभक्त परिवार, सोसाइटी, कंपनी या निगम, वह या जो विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु को पहले से पैक करता है या आयात करता है तो वह अपने या उसके नाम और पूरे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को पाँच सौ रुपये की फीस सहित एक आवेदन देगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन-

(i) यदि कोई आवेदक इस नियम के लागू होते समय पूर्व पैकिंग करता है या कोई वस्तु आयात करता है, तो नियम के लागू होने के 90 दिनों के भीतर, या

(ii) यदि कोई आवेदक, वह या जो इस नियम के लागू होने के उपरान्त किसी वस्तु का पूर्व पैकिंग या आयात शुरू करता है तो पूर्व पैकिंग प्रारम्भ करने से 90 दिन की अवधि में,

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:-

(क) आवेदक का नाम;

(ख) उस परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा एक या अधिक वस्तुओं का पूर्व पैकिंग या आयात किया जाता है; और

(ग) आवेदक द्वारा पूर्व पैक की गई या आयात की गई वस्तु या वस्तुओं के नाम।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम में "पूरा पता" का वही अर्थ है जो नियम 10 के उपनियम (i) के स्पष्टीकरण में है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी प्रकार से किए गए परिवर्तन पर, निदेशक या नियंत्रक को संबंधित विनिर्माता या पैकर या आयातक को सौ रुपए के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

(4) उप नियम (1) के तहत बने आवेदन की प्राप्ति पर निदेशक या नियंत्रक जो भी पंजीकरण प्राधिकारी होगा, को--

(क) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण नहीं हो तो आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 7 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर उसी आवेदक को वापिस भेज दी जाएगी;

(ख) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हो तो आवेदक को दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा।

28. **छोटे पते का पंजीकरण अनुज्ञेय होना** – (1) विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह नियम 27 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पूरे करने के अतिरिक्त छोटे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को आवेदन दे।

(2) निदेशक या नियंत्रक यदि यह जांच करने के पश्चात कि छोटे पते से भी उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनिर्माता या पैकर की पहचान करना पर्याप्त रूप से संभव होगा, ऐसे छोटे पते का पंजीकरण कर सकता है।

(3) जां निदेशक या नियंत्रक द्वारा छोटे पते का पंजीकरण किया जाए वहां विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह उसके द्वारा पूर्व पैक की गई प्रत्येक वस्तु के लेबल पर ऐसे छोटे पते का उल्लेख करे।

29. **विनिर्माताओं और पैकरों आदि का पंजीकरण** –

(1) निदेशक या नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक विनिर्माता या पैकर का नाम और पूरा पता प्रविष्ट करेगा जिसमें नियम 27 के अधीन ऐसे पंजीकरण के लिए उसके पास आवेदन किया हो।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए निशुल्क खुला रहेगा।

30. **विनिर्माताओं या पैकरों की सूचियों का संकलन और उनका परिचालन** – निदेशक या नियंत्रक, नियम 29 के अधीन उसके द्वारा पंजीकृत सभी विनिर्माताओं और पैकरों की राज्यवार सूची संकलित करेगा और ऐसी सूची संबंधित राज्य के नियंत्रक को भेजेगा जिससे कि नियंत्रक विनिर्माता के परिसर पर अथवा जहां विनिर्माता पैकर नहीं हैं वहां पैकर के परिसर से नमूना लेने में या लिए जाने में समर्थ हो सके।

अध्याय VII
सामान्य

31. (i)– कोई भी विज्ञापन जिसमें पूर्व पैक वस्तु के थोक विक्रय मूल्य का निर्देश हो उसमें शुद्ध मात्रा या पैकेज में उपस्थित वस्तुओं की संख्या की घोषणा भी होनी चाहिए।

(ii) विज्ञापन में शुद्ध मात्रा का फान्ट आकर थोक विक्रय मूल्य के समान ही होना चाहिए।

32. *नियमों का उल्लंघन करने पर दंड* – *(1)* जो कोई नियम 27 *से* 31 *तक* के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से, जो चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
(ii) जो कोई किसी ऐसे अन्य नियमों के उपबंध का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए अधिनियम में या इन नियमों में अलग से कोई दंड उपबंधित नहीं है तो वह जुर्माना से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

33. **शिथिल करने की शक्ति** – केन्द्रीय सरकार, आवेदन पत्र में दिए गए किसी वाद के समायोजन या न्यायालय के निर्णय की सत्यता को सुनिश्चित करने के पश्चात, किसी विनिर्माता या पैकर को विक्रय करने हेतु पैक करने के लिए इन नियमों के एक या अधिक उपबंधों को किसी अपेक्षित समय के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने के पश्चात, जैसा कि निर्दिष्ट हो, शिथिल कर सकेगी।

34. निरसन और व्यावृत्तियां – (1) बाट और माप मानक (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।
परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :-

(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रचालन अथवा कुछ किया गया अथवा किए जाने से लोप किया गया अथवा उसें हुई क्षति; अथवा
(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोदभूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तरदायित्व; अथवा
(ग) उक्त नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई दंड, जब्ती या शास्ति; अथवा
(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, उत्तरदायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दंड के संबंध में कोई अंवेषण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय।
और ऐसा कोई अंवेषण, विधिक कार्रवाही अथवा उपाय संस्थित, जारी अथवा लागू किया जाए और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड जो अधिरोपित किया जाए मानो उक्त नियमों को निरस्त नहीं किया गया।
(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया कुछ अथवा की गई ऐसी कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित अथवा पत्र या प्रदत्त छूट, संग्रहीत फीस, कोई न्यायनिर्णयत, जांच अथवा आरंभ किया अन्वेषण, कारण बताओ नोटिस, विनिश्चय, अवधारण, अनुमोदन उक्त नियमों के अधीन जारी दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, विनिर्माताओं, व्यौहारियों, पैकज में रखी वस्तुओं के आयातकों की अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत है तो प्रवृत

रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इन नियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन ज़ारी किए, दिए अथवा किए गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए किसी आवेदन को या इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाट और माप की विनिर्माताओं, आयातकों, पैकज में रखी वस्तुओं के व्यौहारियों की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात किसी कार्रवाई पर और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्रवाई उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेगी मानो ये नियम विरचित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तथस्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

प्रथम अनुसूची

(नियम 2(ड.) देखिए)

1. **बाट अथवा आयतन द्वारा अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियों की घोषणा --**

(1) बाट अथवा आयतन के किसी वस्तु के अधिकतम या अभाव में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां तालिका – I में विनिर्दिष्ट हैं :-

तालिका – I

वजन तथा आयतन द्वारा शुद्ध मात्रा पर घोषित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां

क्र0सं0	घोषित मात्रा ग्रा0 या मि0 ली0	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि अधिकता अथवा कमी में	
		घोषित मात्रा का प्रतिशत	ग्रा0 या मि0 ली0
(i)	50 तक	9	--
(ii)	50 से 100	--	4.5
(iii)	100 से 200	4.5	--
(iv)	200 से 300	--	9
(v)	300 से 500	3	--
(vi)	500 से 1000	--	15
(vii)	1000 से 10,000	1.5	--
(viii)	10,000 से 15,000	--	150
(ix)	15,000 से अधिक	1.0	--

(2) 1000 ग्रा0 या मि0 ली0 से कम या समान की घोषित मात्रा पर और 1000 ग्राम या मि0 ली0 के घोषित मात्राओं को अगले पूर्ण ग्रा या मि0 ली0 में प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि को निकटतम ग्रा0 या मि0 ली0 के एक दसांश में पूर्णांक किया जाना चाहिए।

2. **निवल मात्रा पर लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या द्वारा अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां** – (1) किसी भी वस्तु की निवल मात्रा लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या के रूप में घोषित, अधिकता या कमी में, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, वे नीचे तालिका – II में विनिर्दिष्ट हैं –

तालिका – II

लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या द्वारा निवल मात्रा पर घोषित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां –

क्र0सं0	घोषित मात्रा	अधिकत अनुज्ञेय त्रुटि अधिकता या कमी में
(i)	लंबाई के एकक में	10 मी0 तक घोषित मात्रा पर 2% और उसके बाद घोषित मात्रा पर 1%
(ii)	क्षेत्रफल के एकक में	10 स्केवयर मीटर तक घोषित मात्रा पर 4% और उसके बाद घोषित मात्रा पर 1%
(iii)	संख्या में	घोषित मात्रा पर 2%

द्वितीय अनुसूची

(नियम 5 देखिए)

विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक की जाने वाली वस्तुएं

निम्नलिखित वस्तुएं वज़न, माप या संख्या के अनुसार ऐसी मात्रा में पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

क्र0सं0	वस्तुएं	वे मात्रा जिनमें पैक की जाएंगी	
1.	2.	3.	
1.	बाल आहार	100 ग्रा0, 200 ग्रा0,300 ग्रा0, 400 ग्रा0, 500 ग्रा0, 600 ग्रा0, 700 ग्रा0, 800 ग्रा0, 900 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0, और 10 कि0 ग्रा0	
2.	छोटे बच्चे का आहार	100 ग्रा0, 200 ग्रा0,300 ग्रा0, 400 ग्रा0, 500 ग्रा0, 600 ग्रा0, 700 ग्रा0, 800 ग्रा0, 900 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0	

		ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0, और 10 कि0 ग्रा0
3.	बिस्कुट	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 75 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0,250 ग्रा0, 300 ग्रा0 और तत्पश्चात 1 कि0 ग्रा0 तक 100 ग्रा0 के गुणकों में
4.	ब्रैड जिसके अंतर्गत ब्राउन ब्रेड भी है, किन्तु बन नहीं है।	100 ग्रा0 और तत्पश्चात 100 ग्राम के गुणजों में।
5.	मक्खन और मार्गरीन के टीन बंद रहित पैकेज	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0,300 ग्रा0, 1 कि ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात के गुणजों में।
6.	अनाज और दाल	100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 5 कि0 ग्रा0 के गुणजों में
7.	काफी	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 1 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।
8.	चाय	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 125 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 1 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।
9.	वे सामग्री जिन्हें पाय के रूप में पुन: बनाया जा सकता	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 125 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 1 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।
10.	खाद्य तेल, वनस्पति घी, बटर तेल	50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 3 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 5 किलोग्राम के गुणजों में यदि शुद्ध मात्रा परिमाण के रूप में घोषित की जाए तो यथास्थिति मिली लिटरों या लिटरों में वही संख्या। यदि शुद्ध मात्रा परिमाण के रूप में घोषित की जाए तो तब समान मात्रा वज़न के रूप में ब्रेकेट्स में समान आकार के अक्षरों, संख्या में घोषित की जाए।
11.	दूध पाउडर	50 से कम कोई निर्बधन नहीं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात 500 ग्राम के गुणजों में।
12.	साबुनरहित अपमार्जक (पाउडर)	50 ग्रा0 से कम कोई निर्बधन नहीं, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 700 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 1.5 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 1 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।
13.	चावल पाउडर किया हुआ, मैदा, आटा, रवा, सूजी	100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 5 कि0 ग्रा0, के गुणजों में।
14.	नमक	50 ग्रा0 से कम 10 ग्राम के गुणजों में, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200 ग्रा0, 500 ग्रा0, 750 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 5 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।

15.	साबुन	
	(क) कपड़े धोने का साबुन	50 ग्रा0, 75 ग्रा0, 100 ग्रा0 और तत्पश्चात 50 ग्रा0 के गुणजों में
	(ख) साबुन रहित अपमार्जक टिकिया/बार	50 ग्रा0, 75 ग्रा0, 100 ग्रा0, 125 ग्रा0, 150 ग्रा0, 200 ग्रा0, 250 ग्रा0, 300 ग्रा0 और तत्पश्चात 100 ग्रा0 के गुणजों में।
	(ग) नहाने का साबुन, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के नहाने का साबुन (टिकिया) आता है।	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 75 ग्रा0, 100 ग्रा0, 125 ग्रा0, 150 ग्रा0, और तत्पश्चात 50 ग्रा0 के गुणजों में।
16.	वतित मृदु पेय और अन्य गैर-एल्कोहोलिक पेय	65 मि0 ली0 (केवल फल आधारित पेय), 100 मि0 ली0, 125मि0 ली0 (केवल फल आधारित पेय), 150 मि0 ली0, 200 मि0 ली0, 250 मि0 ली0, 300 मि0 ली0, 330 मि0 ली0 (केवल केन में), 500 मि0 ली0, 750 मि0 ली0, 1 ली0, 1.5 ली0, 2 ली0, 3 ली0, 4 ली0 और 5 ली0।
17.	मिनरल वाटर और पेय जल	100 मि0 ली0, 150 मि0 ली0, 200 मि0 ली0, 250 मि0 ली0, 300 मि0 ली0, 500 मि0 ली0, 750 मि0 ली0, 1 ली, 1.5 ली0, 2 ली0, 3 ली0, 4 ली0 और 5 ली0।
18.	थैलों में सीमेंट	1 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0, 10 कि0 ग्रा0, 20 कि0 ग्रा0, 25 कि0 ग्रा0, 40 कि0 ग्रा0, (केवल सफेद सीमेंट के लिए) और 50 कि0 ग्रा0।
19.	पेंट वार्निश आदि	
20.	(क) पेंट (पेस्ट पेंट या ठोस पेंट के अतिरिक्त) वार्निश, वार्निश स्टेन, इनेमल।	50 मि0 ली0, 100 मि0 ली0, 200 मि0 ली0, 500 मि0 ली0, 1 ली, 2 ली0, 3 ली0, 4 ली0, 5 ली0 और तत्पश्चात 5 ली0 के गुणजों में।
	(ख) पेस्ट पेंट और ठोस पेंट	500 ग्रा0, 1 कि0 ग्रा0, 1.5 कि0 ग्रा0, 2 कि0 ग्रा0, 3 कि0 ग्रा0, 5 कि0 ग्रा0, 7 कि0 ग्रा0 और तत्पश्चात 5 कि0 ग्रा0 के गुणजों में।
	(ग) बेस पेंट	450 मि0 ली0, 500 मि0 ली0, 900 मि0 ली0, 925 मि0 ली0, 950 मि0 ली0, 975 मि0 ली0, 1 ली0, 3.6 ली0, 3.7 ली0, 3.8 ली0, 3.9 ली0 और 4 ली0 और 4 ली0 से अधिक में कोई पाबंदी नहीं।

तृतीय अनुसूची

(नियम 11 (4))

वस्तुओं के संबंध में (वज़न या आयतन द्वारा विक्रय) जिसे शब्दों द्वारा "जब पैक किया गया है" प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं०	वस्तु का नाम
1.	सभी प्रकार के साबुन
2.	लोसंस
3.	क्रीम (क्रीम मिल्क के अतिरिक्त)

चतुर्थ अनुसूची

(नियम 12 (2) देखें)

1. निम्नलिखित वस्तुएं पैक की गई रूप में वज़न, मात्रा या संख्या के अनुसार बेचे जा सकते हं जैसा कि उन वस्तुओं के सामने दिखाया गया है:-

तालिका

क्र०सं०	वस्तु	घोषणा वज़न, मात्रा या संख्या या उनमें से या दो या अधिक के अनुसार की जाएं
1.	2.	3.
1.	एरोसोल उत्पाद	वज़न
2.	द्रव रूप में अम्ल	वज़न या आयतन
3.	संपीड़ित या द्रवीभूत वायु (किन्तु द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस नहीं)	बताए गए तापमान और दबाव पर वज़न और समतुल्य आयतन
4.	दहीं	वज़न
5.	विद्युत केबल	लंबाई या वज़न
6.	विद्युत तार	लंबाई या वज़न
7.	फेसिंग तार	संख्या या वज़न
8.	फल, सभी प्रकार के	संख्या या वज़न
9.	भट्टी तेल	वज़न या आयतन
10.	गैर खाद्य वनस्पति तेल	वज़न या आयतन
11.	खाद्य तेल, वनस्पति, घी और मक्खन तेल	वज़न या आयतन
12.	भारी अपशिष्ट ईंधन तेल	वज़न
13.	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन

14.	शहद, माल्ट का सत, गोल्डन सिरप, कोणी	वज़न
15.	आईसक्रीम और अन्य वैसी जमाई गई उत्पादें	आयतन
16.	द्रव्य रसायन	वज़न या आयतन
17.	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	वज़न
18.	कीलें, लकड़ के स्क्रू	संख्या या वज़न
19.	पेंट (पेस्ट पेंट या ठोस पेंट के अतिरिक्त) वार्निश, वार्निश स्टेन, इनेमल	आयतन
20.	पेस्ट पेंट, ठोस पेंट	वज़न
21.	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मिष्ठान	वज़न
22.	तैयार कपड़े	संख्या
23.	सॉस, सभी प्रकार के	वज़न
24.	टायर और ट्यूब	संख्या
25.	धागा	धागे का वजन या लंबाई
26.	प्रसाधन सामग्री, क्रीम, सैंपू, लोशन तथा इत्र आदि सम्मिलित	वजन या आयतन

पांचवीं अनुसूची

(नियम 19 देखें)

नमूना पैकेज के चुनाव की रीति

1. पैकेज में समाहित किसी वस्तु की शुद्ध मात्रा के लिए, नमूना आकार नीचे दी गई तालिका में कालम 2 के सदृश प्रविष्टि में कथित तालिका के लाट आकार के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

लॉट आकार	नमूना आकार
(1)	(2)
4000 से कम	32
4000 से अधिक	80

2. नमूने पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट रीति से यदा-कदा चुने जाएंगे

3. जहां किसी पैकेज में रखी हुई सामग्री की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए विनिर्माता द्वारा या पैकर द्वारा किसी भंडागार गोदाम या किसी अन्य स्थान में भंडारित पैकेजों के नमूने लेने आवश्यक हैं वहां नमूने का चयन चाहे जहां के पैकेज के प्रत्येक लॉट में से किया जाएगा और ऐसा चयन स्टाक में सबसे ऊपर से नीचे से बीच में से, दाएं से, बाएं से, सामने से और पीछे से किया जाएगा ताकि नमूना लॉट के पैकेजों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व कर सके।

4. जहां पैकज में रखी गई किसी वस्तु की शुद्ध मात्रा का अवधारणा करने के लिए आवश्यक है कि नमूना उस स्थान से लिया जाए जहां पैक भरे जा रहे हैं तो ऐसे नमूने उन पैकेजों में से चुने जाएंगे जो पहले ही भरे जा चुके हैं अथवा विकल्पतया, यथेष्ट मात्रा में खाली कंटेनर के लिए जाएंगे और उन्हें यथेष्ट रूप में, समुचित पहचान चिन्ह लगाकर चिन्हित किया जाएगा तब प्रत्येक कंटेनर का टेयर वेट ठीक-ठीक दर्ज किया जाएगा और तत्पश्चात कंटेनरों को चिन्हित करके पैकिंग की प्रक्रिया में जहां कहीं रख दिया जाएगा ताकि जो भी पैकेज भर दिए जाएं उसके पश्चात यह अवधारित करना सम्भव हो कि पैकेजों में कंटेनर पर घोषित वस्तु की शुद्ध मात्रा है या नहीं।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची में "नमूना आकार" से नमूने के रूप में चुने गए पैकेजों की संख्या अभिप्रेत है।

छठी अनुसूची

(नियम 19 देखें)

पैकेजों में रखी गई वस्तुओं के शुद्ध मात्रा का अवधारण

भाग – I उपस्कर

1. **अपेक्षित उपस्कर:** (1) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन कसी पैकेज में रखी गई वस्तु का शुद्ध अवधारण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सरकार द्वारा यथेष्ट उपस्कर और समीचीन रूप से और के साथ सही प्रकार से अपना कार्य करने के लिए उपस्कर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट उपस्करों में सामान्यतया कार्यकारी मानक बाट और तुलाएं होंगी तथा ऐसे अन्य बाट और तोल करने के औजार चिन्ह निदेशक संबंधित पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए घोषित करें।

(3) कसी भी पैकेज में सम्मिलित शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के पूर्व निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधि माप विज्ञान अधिकारी इस ओर से आश्वस्त होगा कि कार्यकारी मानक और अन्य साधित्र ठीक-ठीक काम कर रहे हैं।

2. आमतौर से प्रयोग किये जाने वाले कार्यकारी मानक – (1) सामान्यतया सम्यक रूप से सत्यापित कार्यकारी मानकों और अन्य बाटों और मापों का प्रयोग पैकेज में रखी गई मात्राओं की जानकारी करने के लिए किया जाएगा तथा शुद्ध मात्रा के संबंध में त्रुटियां, यदि कोई हों, पैकेज पर घोषित की जाएंगी।

परन्तु जहां विनिर्माता पैकर या थोक व्यौहारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन बाटों और मापों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहां ऐसे बाटों और मापों का प्रयोग तब के सिवाय नहीं किया जायेगा जब वे प्रयोग करने से पहले सत्यापित न किये गये हों और ऐसे बाटों वाले माप तब के सिवाय प्रयोग में नहीं लाये जाएंगे जब ऐसे बाटों या मापों की अधिकतम अनुजेय त्रुटि पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा के संबंध में अनुज्ञान अधिकतम त्रुटि का बीस प्रतिशत या उससे कम न हो।

(2) प्रत्येक विनिर्माता, पैकर या थोक व्यौहारी का कर्तव्य होगा कि वह निदेशक, नियंत्रक या माप विज्ञान अधिकारी को उनके कर्तव्यों का समीचीन रूप से दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करे।

(3) जहां **विनिर्माता,** पैकर या थोक ब्यौहारी के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई बाट, माप या अन्य यंत्र निदेशक, नियंत्रक या माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किसी पैकेज में रखी गई शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए किया जाता है वहां ऐसे बाट, माप या अन्य यंत्र निदेशक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तब तक छोड़े नहीं जाएंगे जब कि कार्य पूरा नहीं हो जाता।

भाग-II – **विनिर्माता या पैकर के** परिसर में मात्रा और त्रुटियों के अवधारण की बाबत निर्देश।

3.(1) यदि खाली टेयर पैकेज उपलब्ध हो, तो ऐसा एक पैकेज लिया जाएगा और टेयर पैकज के वज़न का अवधारण किया जाएगा। यदि टेयर पैकेज का वज़न संबंधित वस्तु की उस मात्रा की अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के तीन बटा दस के समतुल्य या उससे कम है, तो यह माना जाएगा कि इस प्रकार अवधारित टेयर पैकेज का वजन अन्य सभी नमूनों के पैकेजों को सकल वजन से टेयर पैकेज वज़न को घटाकर प्रत्येक पैकेज की अंतः वस्तु का शुद्ध वज़न निकाला जाएगा। यदि इस प्रकार अवधारित टेयर पैकेज का वजन उस मात्रा के लिए उक्त वस्तु के संबंध में अनुज्ञेय अधिकतम त्रुटि के तीन बटा दस से अधिक है तो चार अतिरिक्त खाली टेयर पैकेजों के वज़न का अवधारण किया जाएगा। यदि पाँच नमूने के पैकेजों का अधिकतम टेयर पैकेज वज़न और न्यूनतम टेयर पैकेज वज़न का अंतर उस वस्तु की मात्रा के लिए अनुज्ञान अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के चार बटा दस के समतुल्य या उससे कम है, तो पैकज का टेयर वज़न पांचों टेयर पैकेज वज़न के औसत के बराबर लिया जाएगा। तब नमूने के पैकेजों के सकल वजन का अवधारण किया जाएगा और नमूने के प्रत्येक पैकेट में वस्तु की शुद्ध मात्रा प्राप्त करने के लिए पैकेज के सकल वज़न से औसत टेयर पैकेज वज़न को घटाया जाएगा। तथापि, जब पाँच पृथक पृथक पैकेजों का टेयर वज़न का अंतर ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से चार बटा दस से अधिक हो तो, यथास्थिति उप पैरा (4) या उप पैरा (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अलग-अलग पैकेजों की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए अपनाई जाएगी।

(2) यदि खाली टेयर पैकेज न हो तो सैंपल में से एक पैकेज को खोला जाएगा और वस्तु का शुद्ध वजन और पैकेज का टेयर वज़न अवधारित किया जाएगा। यदि पैकेज का टेयर वजन अवधारित किया जाएगा। यदि पैकेज का टेयर वज़न उस मात्रा की वस्तु से संबंधित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के समान या उसके तीन बटा दस भाग से कम है तो वह मान लिया जाएगा कि पैकेज का इस प्रकार अवधारित टेयर वज़न नमूना में वे अन्य सभी पैकेज के लिए विधिमान्य है और तब शेष पैकेजों का सकल वज़न निकाल लिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक पैकेज में लगी हुई वस्तु के शुद्ध वज़न को सकल वजन में से टेयर वज़न को घटाकर निकाला जाएगा।

(3) यदि उप-पैरा 2 के विनिर्दिष्ट पैकेज का टेयर वजन उस वस्तु से संबंधित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के तीन बटा दस से अधिक है तो नमूने में से चार पैकेज खोले जाएंगे और प्रत्येक पैकेज की वस्तु का शुद्ध वजन तथा प्रत्येक पैकेज का टेयर वज़न अवधारित किया जाएगा, यदि पाँच नमूनों के अधिकतम टेयर वज़न और न्यूनतम टेयर वज़न के बीच का अंतर उस मात्रा की वस्तु के लिए अनुज्ञेय अधिकतम त्रुटि के बराबर या चार बटा दस भाव से कम है तो पैकेज का टेयर वजन पाँच टेयर वजनों के गणितीय औसत के बराबर मात्रा जाएगा। तब नूमनों के पैकेजों का सकल भार आवश्यक यथार्थता तक अवधारित किया जाएगा और कंटेनर का औसत टेयर वज़न सकल वज़न में से घटाकर नमूने में के प्रत्येक पैकेज की वस्तु की सकल मात्रा निकाली जाएगी।

(4) यदि उप-पैरा (2) में वर्णित प्रथम टेयर पैकेज का परीक्षण कर यह पाया जाता है कि कंटेनर का टेयर वज़न उप-पैरा (1) और उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है तथा सकल उन वस्तुओं का अवधारण शेष पैकेजों को खोल बिना नहीं किया जा सकता था उप पैरा (5) में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग करना संभव नहीं हो तो परीक्षा किये जाने वाले नमूने का आकार, पांचवीं अनुसूची की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित लॉट के अनुसार स्तम्भ (2) में उल्लिखित तक सीमित रखी जाएगी तथा नमूने में के सभी पैकेजों को खोलकर शुद्ध मात्रा का अवधारण किया जाएगा।

(5) जहां यह संभव है कि वास्तविक शुद्ध मात्रा का अवधारण करने की प्रक्रिया नष्टकारी हो सकती है और परिणामों पर प्रभाव डाले बिना पैकिंग की प्रक्रिया में खोली पैकेजों की फीड करना संभव है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) पांचवीं अनुसूची की सारणी के स्तम्भ (1) और (2) के अनुसार लॉट के आकार के आधार पर ही खाली पैकेजों की संख्या चुनी जाएगी;

(ख) खाली पैकेजों को अन्य पैकेजों की अपेक्षा ठीक प्रकार से पहचानने के लिए उपयुक्त ढंग से चिन्हित किए जाएंगे;

(ग) खाली पैकेज तथा उसके भरने के पश्चात उसमें फिट किए जाने वाले अन्य भागों सहित उसका वज़न अवधारिक किया जाएगा तथा खाली पैकेज पर ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में भी दर्ज किया जाएगा;

(घ) तब खाली पैकेज को उन्हें अनियमित रूप से पैकिंग की प्रक्रिया के दौरान भरा जाएगा और इस प्रकार उन्हें रखने की प्रक्रिया उस अवधि में विस्तारित की जाएगी जिसके आधार पर लॉट का आकार अवधारित किया जाता है।

(ङ) तब चिन्हित पैकेज की भराई और मुद्रांकित करने की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात बाहर निकाला जाएगा और ऐसे प्रत्येक भरे हुए पैकेज की समुचित यथार्थता के साथ वज़न किया जाएगा;

(च) खंड (ग) के अनुसार अवधारित टेयर वज़न को सकल वज़न में से घटाकर शुद्ध मात्रा निकाली जाएगी।

(6) निदेशक, नियंत्रक अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारी सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में सकल वज़न, शुद्ध वज़न और टेयर वज़न के परिणाम ऐसी अन्य टिप्पणियों सहित दर्ज करेगा जो वह ऐसी परीक्षा के आधार पर खर्च करना चाहे।

4. आयतन द्वारा द्रव अंतर्वस्तुओं का अवधारण (1) यदि पैकेज में भरी हुई द्रव वस्तु का विनिर्दिष्ट गुरुत्व एक लॉट के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर रहता है और उसके विनिर्दिष्ट गुरुत्व को ठीक ठीक अवधारित करना संभव है तो वज़न द्वारा कुल अंतर्वस्तुओं का अवधारण करने की पद्धति का जो कि पैरा 3 में वर्णित है उपयोग किया जा सकेगा।

(2) यदि उप पैरा (1) में वर्णित पद्धति संभव नहीं है तो कंटेनरों को खोला जाएगा और प्रत्येक पैकेज के अंतर्वस्तुओं का समुचित आयतन माप में सावधानीपूर्वक निकाला जाएगा।

(3) प्रत्येक पैकेज में वस्तु के वास्तविक शुद्ध आयतन की रीडिंग सावधानी पूर्वक दर्ज की जाएगी और 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में लिखी जाएगी।

5. वस्तुओं की लंबाई सत्यापन –(1) नमूने का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से चयन किया जाएगा।

(2) यदि पैकेज खोले बिना विमा मापना संभव न हो, तो पैकेज खोले जाएंगे।

(3) वस्तु की लंबाई यथोचित लंबाई के अंशाकित स्टील टेप के द्वारा मापी जाएगी।

(4) यदि वस्तु की लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसे टेप की माप से मापना संभव नहीं है और लंबाई मापने वाला यथोचित इंस्ट्रूमेंट परिसरों पर उपलब्ध है तो उस इंस्ड्रुमेंट का लम्बाई के कार्यकारी मानक के रूप में कार्य करने वाले स्टील टेप से यथोचित साधनों द्वारा उसे सम्यक रूप से अंशाकित करने के पश्चात उपयोग किया जाएगा।

(5) प्रत्येक पैकेज में वस्तु की वास्तविक लंबाई की रीडिंग सावधानीपूर्वक दर्ज की जाएगी और 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखी जाएगी।

6. संख्या द्वारा पैक की गई वस्तुओं का सत्यापन – निदेशक, नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी 5वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसके द्वारा लिए गए नमूनों से पैकेजों को लेगा और प्रत्येक ऐसे पैकेज में वास्तविक गणना करके त्रुटि की सीमा का अवधारण करेगा और उस प्रयोग के लिए सारे पैकेजों को खोल सकेगा।

7. अन्य घोषणाओं की जांच पड़ताल -(1) पैकेज पर या उन पर लगाए गए लेबल पर की गई घोषणाओं को यह अभिनिश्चय करने की दृष्टि से कारखाने में या कारखाने के डिपो पर परीक्षा की जाएगी कि क्या ऐसी घोषणाएं इन नियमों के अनुरूप हैं।

(2) नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (छ) और (ज) के संबंध में पैकेज पर या उस पर या उस पर लगाए गए लेबल पर की गई अतिरिक्त घोषणाओं की भी वह अभिनिश्चित करने के लिए परीक्षा की जाएगी कि वे यथायोग्य हैं ।

सातवीं अनुसूची

प्ररूप क

वज़न को चैक करना – आंकड़ा सीट

<table>
<tr><td colspan="5">क

पैकेज की विशिष्टियां विनिर्माता/मेकर का नाम</td></tr>
<tr><td></td><td>पता</td><td>कीमत</td><td>मास</td><td>वर्ष</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>ख

वस्तु वर्गीकरण</td><td colspan="4">लाट साइज: सैंपल का आकार
अनुसूची प्रथम/द्वितीय
वर्ग क/ख
अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की प्रतिशत</td></tr>
</table>

ग	सैम्पल संख्या	कुल वज़न	टेयर वज़न	शुद्ध वज़न/त्रुटि	टिप्पणियां
वजन चैकिंग आंकड़ा	1 200				
घ परिणाम	घोषित वजन			औसत वज़न	
ङ अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन से परिणाम संबंधी साधारण टिप्पण।					
च	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम पदाभिधान: नाम: समय:		विनिर्माता/विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत पैकर या किसी सक्षम साक्षी के हस्ताक्षर और नाम स्थान:		

टिप्पण: यदि तारीख शीट तक एक से अधिक पृष्ठों में है तो प्रत्येक जारी रहने वाली शीट पर भाग च में विनिर्दिष्ट होंगे।

प्ररूप ख

आयतन/लंबाई चैकिंग – आंकड़ा शीट

क पैकेज की विशिष्टियां			विनिर्माता/मेकर का नाम	
	पता	कीमत	मास	वर्ष
ख वस्तु वर्गीकरण	लाट साइज: अनुसूची प्रथम/द्वितीय वर्ग क/ख अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की प्रतिशत			सैंपल का आकार

ग	सैम्पल संख्या कुल वज़न टेयर वज़न शुद्ध वज़न/त्रुटि टिप्पणियां
आयतन लंबाई चैकिंग आंकड़ा	1 200
घ परिणाम	घोषित आयतन/लंबाई औसत आयतन/लंबाई
ड. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन से परिणाम संबंधी साधारण टिप्पण।	
च प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम पदाभिधान: नाम: समय:	विनिर्माता/विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत पैकर या किसी सक्षम साक्षी के हस्ताक्षर और नाम स्थान:

टिप्पण: यदि तारीख शीट तक एक से अधिक पृष्ठों में है तो प्रत्येक जारी रहने वाली शीट पर भाग च में विनिर्दिष्ट होंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव